



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01022026-269752
CG-DL-E-01022026-269752

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 83]

नई दिल्ली, रविवार, फरवरी 1, 2026/माघ 12, 1947

No. 83]

NEW DELHI, SUNDAY, FEBRUARY 1, 2026/MAGHA 12, 1947

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2026

सं.04 /2026-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 88(अ).— केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना आवश्यक है, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 379(अ), तारीख 31 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 26/2016-सीमा शुल्क, तारीख 31 मार्च, 2016 का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, "यात्री सामान नियम, 2016" दोनों स्थान जहां पर भी आते हैं, शब्दों और अंकों के स्थान पर "यात्री सामान नियम, 2026" शब्द और अंक रखे जाएंगे।

2. यह अधिसूचना तारीख 2 फरवरी, 2026 को प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 450/174/2024-सीयूएस-IV]

अनुरिमा शर्मा, निदेशक (सीमाशुल्क)

टिप्पणः- मूल अधिसूचना सं. 26/2016 सीमाशुल्क, तारीख 31 मार्च, 2016 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 379 (अ), तारीख 31 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF FINANCE

(Department Of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st February, 2026

No. 04/2026-Customs

G.S.R. 88(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 26 /2016-Customs, dated the 31st March, 2016, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 379(E), dated the 31st March, 2016, namely:-

in the said notification, for the words and figures “Baggage Rules, 2016”, occurring at both the places, the words and figures “Baggage Rules, 2026” shall be substituted.

2. This notification shall come into force on the 2nd of February, 2026.

[F. No. 450/174/2024-Cus-IV]

ANURIMA SHARMA, Director (Customs).

Note: The principal notification No. 26/2016-Customs, dated the 31st March, 2016 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 379(E), dated the 31st March, 2016.